अनुबंध III

वे शर्तें जिनके अंतर्गत बैंक ऑफ साइट एटीएम का परिचालन कर सकते हैं

(i) ऑफ साइट एटीएम में किया गया कारोबार उनकी संबंधित शाखाओं/आधार शाखा/केंद्रीकृत डेटा सेंटर की बहियों में दर्ज किया जाएगा ।

(ii) ऐसे ऑफ साइट एटीएम केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के अलावा और कोई व्यक्ति तैनात नहीं किया जाना चाहिए ।

(iii) बैंक को एटीएम की नकदी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त आपाती व्यवस्था करनी चाहिए ।

(iv) बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल समुचित रीति से छांटे गये और सुपरीक्षित नोट ही एटीएम के माध्यम से संचलन में डाले जाते हैं ।

(v) एटीएम क्रीन/नेटवर्क पर थर्ड पार्टी विज्ञापन जैसे अन्य उत्पादकों/व्यापारियों/विक्रेताओं के उत्पादों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है । तथापि, बैंक अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एटीएम क्रीन का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है ।